Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA).

[Jamabandi Cancellation Revision Case No.- 124/2025]

Maheshwari Mehta & Anr. .....Appellant

Versus

Pankaj Mehta & Ors. & The State of Bihar .....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	31.1.2026 **02.2.2026**	**आदेश** यह जमाबंदी रद्दीकरण पुनरीक्षण वाद Bihar Land Tribunal, Patna के BLT Case No.-537/2025 में दिनांक-30.7.2025 को पारित आदेश के अलोक में न्यायालय समाहर्त्ता, मधेपुरा के जमाबंदी रद्दीकरण अपील वाद सं.-10/2020 (महेश्वरी मेहता वगैरह बनाम राज्य एवं पंकज मेहता वगैरह) में दिनांक-10.1.2025 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। LCR प्राप्त है। इस वाद की सुनवाई में विपक्षीगण की ओर से लगातार गई तिथियों में सुनवाई में अभिरूचि नहीं लिये जाने के कारण दिनांक-10.1.2026 को Petitioner के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुना। तथा विपक्षीगण को अगली सुनवाई में अपना बहस/Final Argument करने का अंतिम मौका दिया गया। इसके बावजूद दिनांक-19.1.2026 के सुनवाई में विपक्षीगण अनुपस्थित रहे। पुनः दिनांक-19.1.2026 को विपक्षीगण को अगली सुनवाई में अपना बहस/Final Argument करने का मौका दिया गया। दिनांक-31.1.2026 के सुनवाई में विपक्षीगण की ओर से पैरवी नहीं है। तदनुसार उपस्थित पक्ष की सुनवाई तथा LCR/साक्ष्यों के आधार पर आदेश पारित किया जा रहा है। प्रश्नगत भूमि का विवरण निम्नानुसार है :-	

मौजा	थाना नं0	तौजी नं0	खाता (पुराना)/ खाता नया	खेसरा (पुराना) खेसरा नया	रकवा (बी.-क.-धू.)
आलमनगर	72/1	3308 एवं 3308/1	362/1937	794/1205	03-0-13
			442/1938	775/1213 776/2036 773/1202	
			441/655	773/1206	01-05-0
				कुल रकवा	04-05-13

अभिलेख का अवलोकन किया। Petitioner का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी (द्वितीय पक्ष) का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है।

उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद पत्र, Reply/Rejoinder आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि अंचल, आलमनगर के दाखिल खारिज वाद सं. 962/2002-03 एवं 322/2003-04 के विरूद्ध न्यायालय अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा में जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं.-03/2014 शिव कान्त मेहता व जयचन्द्र मेहता द्वारा दायर किया गया। उक्त वाद में दिनांक-13.4.2020 को आदेश पारित किया गया। जिसके द्वारा विपक्षी के आवेदन को स्वीकार करते हुए अंचल अधिकारी, आलमनगर के द्वारा दो अलग-अलग दाखिल खारिज वाद सं.-962/2002-03 में दिनांक-12.2.2003 एवं दाखिल खारिज वाद सं.-322/2003-04 में दिनांक-05.9.2003 को पारित आदेश को निरस्त किया गया। तथा विपक्षी के नाम से जमाबंदी कायम करने का आदेश पारित किया गया। उक्त पारित आदेश के विरूद्ध Petitioner द्वारा समाहर्त्ता, मधेपुरा के समक्ष जमाबंदी रद्दीकरण अपील वाद संख्या-10/2020 दायर किया गया। जिसे आदेश

आयुक्त न्यायालय कोसी प्रमण्डल, सहरसा

R.

	31.1.2026 **02.2.2026**	दिनांक-10.1.2025 द्वारा खारिज कर दिया गया। सुनवाई में Petitioner के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि टाईटल सूट नं.-66/1966 में दिनांक-13.9.1971 को पारित आदेश तथा दिनांक-01.11.1971 के डिक्री के आधार पर अंचल अधिकारी द्वारा दाखिल खारिज कर जमाबंदी कायम किया गया। तथा यह कि सुनवाई में Petitioner के Pleadings के बावजूद निम्न न्यायालय द्वारा विपक्षी की ओर से दाखिल खतियान का सत्यापन नहीं कराया गया है। जो न्यायिक प्रक्रिया को Vitiate करता है। चूकि प्रश्नगत जमीन पर Title Suit का Judgment/Decree उनके पक्ष में है। जिसके विरूद्ध कोई अपील दाखिल नहीं हुआ है। अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा एवं समाहर्त्ता, मधेपुरा न्यायालय के स्तर से उपरोक्त Relevant Facts को नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। जो विधिमान्य नहीं है। Title निर्धारण हेतु सिविल न्यायालय ही सक्षम प्राधिकार होते हैं। अतः तदनुसार उपरोक्त तथ्यों एवं Findings के आधार पर निम्न न्यायालय के आदेश को खारिज करते हुए इस वाद को न्यायालय अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा को Remand back करते हुए आदेश दिया जाता है कि बंदोबस्त कार्यालय से अद्यतन खतियान का सत्यापन कराकर उभय पक्ष के बीच वर्त्तमान विवाद के संदर्भ में संगत साक्ष्यों तथा कानूनी बिन्दुओं के आधार पर उभय पक्ष की सुनवाई करते हुए वाद को सकारण आदेश से निर्णित करेंगे। आदेश में Pleadings के अनुसार सभी Issue पर Findings अंकित करेंगे। निम्न न्यायालय के स्तर से वाद निर्णित होने तक Status quo (राजस्व अभिलेख तथा सरजमीन पर) Maintain करने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्त आदेश के साथ इस पुनरीक्षण वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें। 02/2/2026. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा। लेखापित एवं शुद्धित। 02/2/2026. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा।	